प्रयागराज विकास प्राधिकरण हेल्प डेस्क/पूछताछ केंद्र, प्रयागराज
विकास फ्लैट पंजीकरण जानकारी हेतु यहां संपर्क करें

फ्लैटों की सूची						
क्र० सं०	योजना का नाम	सम्पत्ति श्रेणी	रिक्त सम्पत्ति यों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य प्रति फ्लैट (रु० में)	पंजीकरण धनराशि (रु० में)
1	जान्हवी अपार्टमेंट, जैनी, फेज़ I	SAHAJ (FLAT) G.F.	32	35.94	2,605,000.00	260,500.00
		SAHAJ (FLAT) F.F. TO T.F.			20,00.000.00	200,000.00
		SAHAJ (E.W.S. FLAT)	4	24.61	1,266,000.00	126,600.00
	जान्हवी अपार्टमेंट, नैनी, फेज़- II	1 B.H.K. L.I.G. FLAT G.F.	36	50.08	2,600,000.00	260,000.00
		1 B.H.K. L.IL.G. FLAT F.F. TO T.F.	108	50.08	2,000,000.00	200,000.00
	जान्हवी अपार्टमेंट नैनी, फेज़ -III	1 B.H.K. L.I.G. FLAT G.F.	8	50.08	2,600,000.00	260,000.00
		1 B.H.K. L.I.G. FLAT F.F. TO T.F.	24	50.08	2,000,000.00	200,000.00
2	जागृति विहार आ यो० कालिन्दीपुरम	M.I.G. FLAT (CATEGORY-I) Phase-I	19	75.83	3,490,000.00	349,000.00
		M.I.G. FLAT (CATEGORY-II) Phase-II	13	54.3	3,355,000.00	333,500.00
		M.I.G. FLAT (CATEGORY-ID) Phase-III	184	54.3	3,355,000.00	333,500.00
3	मौसम विहार अपार्टमेन्ट कालिन्दीपुरम	3 B.H.K Sharad	10	133.67	68,50.000.00	685,000.00
		2 B.H.K SHISHIR	50	102.94	5,290,000.00	529,000.00
		2 B.H.K Hemant	33	85.51	4,435,000.00	443,500.00
		2 B.H.K Basant	32	80.25	4,302,000.00	
4	यमुना विहार आवास योजना, नैनी	2 B.H.K (B3)	158	75.29	3,655,000.00	365,500.00
		2 B.H.K (B4)				
5	मानस विहार आवास योजना,जैनी	SAHAJ-A (L.I.G FLAT)	6	40.69	1,720,000.00	172,000.00
		SARAL-II-B (E.W.S FLAT)	3	32.85	1,185,000.00	118,500.00
		SARAL-C (E.W.S FLAT)	10	31.64	1,142,000.00	114,200.00
6	आजाद अपार्टमेण्ट, नैनी	SAHAJ (L.I.G. FLAT)	2	41.78	2,031,000.00	203,100.00
7	वसुधा विहार आयो० कालिन्दीपुरम	GAGAN (FLAT)	9	66.56	3,454,000.00	345,400.00
		PAWAN (FLAT)	1	83.52	4,600,000.00	460,000.00
8	सुगम विहार आ योजना,कालिन्दीपुरम	SAHAJ (L.I.G. FLAT)	2	42.94	1,417,000.00	141,700.00
9	मंगल विहार आ० योजना, कालिन्दीपुरम	SARAL (E.W.S FLAT)	1	38.274	1,519,000.00	151,900.00
		SAHAJ (L.I.G. FLAT)	4	43.46	1,881,000.00	188,100.00
10	सरस विहार आ०यो०, झंसी	AFFORDABLE (Ground Floor Flat)	1	28	1,715,000.00	171,500.00
		AFFORDABLE (Sccond Floor to Third Floor Flat)	5	28	1,250,000.00	125,000.00
11	डिवाइन अपार्टमेन्ट, झूसी	3 B.H.K FLAT	4	170.66	11,200,000.00	1,120,000.00
12	अलकनन्दा अपार्टमेण्ट, गोविन्दपुर	2 B.H.K-B1	2	103.4	6,438,610.00	643,861.00
		3 B.H.K-B1	2	142	7,700,000.00	770,000.00
		3 B.H.K-B2	1	139.19	7,291,760.00	729,176.00
Total No. fo Flats			764			

प्रयागराज विकास प्राधिकरण हेल्प डेस्क/पूछताछ केंद्र, प्रयागराज विकास फ्लैट पंजीकरण जानकारी हेतु यहां संपर्क करें

कैसे आवदेन करें	
1	फ्लैटों के पंजीकरण के लिए वेबसाइट janhit.upda.in अथवा प्राधिकरण की वेबसाइट pdaprayagraj.org पर आवेदन करें।
2	वेबसाइट pdaprayagraj.org पर जा कर क्लिक करें, जिसके बाद न्यूज सेक्शन में जा कर आवेदन करने
3	वेबसाइट janhit.upda.in पर क्लिक करें और इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर अलॉटमेंट में जाकर (यहां पूरे प्रदेश के विकास प्राधिकरण दर्ज है) pda logo का चयन कर क्लिक करें। इसके बाद आप अपना एक अकाउंट बना कर लॉगिंग करके आवेदन हेतु सभी डिटेल भरदें।
4	आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर, ई-मेल आई०डी० एवं दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिक के आरक्षण प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
5	EWS फ्लैटके लिए तीन लाख रुपए तक और LIG फ्लैट के लिए तीन लाख एक रुपए से छह लाख रुपए वार्षिक आय तक का तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। SC, ST, OBC वर्ग के लोगों को तहसीलदार द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र लगाना अनिवार्य होगा।
6	वेबसाइट पर आवेदन करने के दौरान पंजीकरण धनराशि ऑनलाईन जमा करना होगा।

फ्लैट आवंटन हेतु संक्षिप्त नियम एवं शर्तें	
1	समस्त सम्पत्तियों का पंजीकरण आवेदन वेबसाइट janhit.upda.in &www.pdaprayagraj.org के माध्यम से ऑनलाइन एवं निर्धारित अवधि में ही स्वीकार किये जायेंगे तथा स्पष्ट एवं पूर्ण आवेदन ही मान्य होंगे।
2	सम्पत्तियों का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जायेगा और लॉटरी की तिथि एवं स्थान आदि के विषय मेंमेंसूचना अलग से समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा।
3	यदि उक्त विज्ञापन अवधि के पश्चात् आवंटन हेतु सम्पत्ति रिक्त होती है तो उक्त रिक्त सम्पतियों का प्रत्येक माह ऑनलाइन पंजीकरण आवेदनआमंत्रित करलॉट्री के माध्यम से आवंटन किया जायेगा।
4	.सम्पत्तियों के सापेक्ष पंजीकरण धनराशि को सम्पत्ति के मूल्य के 25 प्रतिशत धनराशि 30 दिन में समायोजन के पश्चात् अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि एकमुश्त 90 दिन के अन्दर अथवा सुचित तिथि के अनुसार निर्धारित व्याज सहित किश्तों में जगा किया जा सकता
5	ई०डब्ल्य०एस० (सरल श्रेणी)के फ्लैटों को पाँच वर्ष(60 माह), एल०आई०जी० (सहज श्रेणी)के फ्लैटों को तीन वर्ष (36 माह) समान मासिक किश्तों में, गगन व पवन श्रेणी के फ्लैटों को 12 समान त्रैमासिक किश्तों में, डिवाइन अपार्टमेंट व अलकनन्दा अपार्टमेंट के फ्लैटों को 06 समानत्रैमासिक किश्तों में व सरस विहार के फ्लैटों को 08 समान त्रैमासिककिश्तों में निर्धारित व्याज सहित आवंटित किया जायेगा।
6	ई० डब्ल्यू०एस० (दुर्बल आय वर्ग) सरल श्रेणी के फ्लैट हेतु आवेदन करने वाले आवेदक की अधिकतम आय रु0 3,00,000/- (रूपये तीन लाख तक) वार्षिक तथा एल०आई०जी० (अल्पआय वर्ग) / सहज श्रेणी के फ्लैट हेतु रु० 3,00,001/-से 6,00,000/- (रुपये तीन लाख एक से छः लाख तक कीवार्षिक आय का तहसील के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्रफॉर्म के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा पंजीकरण आवेदन पर विचार नहींकिया जायेगा।
7	एक से अधिक श्रेणी की सम्पत्ति (फ्लैट) के आवेदन हेतु अलग-अलग अलग-अलग पंजीकरण फार्मएवं पंजीकरण धनराशि जमा करना होगा किन्तु लॉटरी ड्रॉ में चयन होने पर एकही सम्पत्ति का आवंटन माज्य होगा तथा लेटरी डों में चयन केतत्काल बाद आवेदक को अपने अन्य पंजीकरण/ पंजीकरणोंके लिये असहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा अज्यथाएक आवंटन के अतिरिक्त अन्य सभी पंजीकरण निरस्त कर जमा धनराशि जब्त कर लिया जायेगा।
8	किसी भी सरकारी निजी संस्था / फर्म को एक गश्त फ्लैटों (Bulk) के आवंटन पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जा सकता है
9	रिक्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी राजस्व सहायक सेप्राप्त की जा सकती है

प्रविप्रा
प्रयागराज विकास प्राधिकरण
प्रयागराज

प्रयागराज विकास प्राधिकरण हेल्प डेस्क/पूछताछ केंद्र, प्रयागराज विकास फ्लैट पंजीकरण जानकारी हेतु यहां संपर्क करें

फ्लैट आवंटन हेतु संक्षिप्त नियम एवं शर्ते	
10	रेरा में पंजीकृत योजनाओं की सम्पत्तियों के आवंटन के पश्चात् आवंटी को रजिस्टर्ड अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्यहोगा।
11	आवंटी को सम्पत्ति मूल्य के अतिरिक्त निर्धारित लीजरेंटकार्पस फण्ड / सर्विस चार्ज जी०एस०टी० एवं अन्य शुल्कों में से जो देय होगा, उसका भुगतान करना होगा। विक्रय विलेख का समस्त व्यय,नगर निगम, जल संस्थान एवं अन्य विभागोंके समस्त देयक आवंटी को वहन करना होगा।
12	सम्पत्ति का सम्पूर्ण मूल्य आवंटन के पश्चात् निर्धारित तिथि सेपूर्व कभी भी जमा किया जा सकता है। सम्पूर्ण मूल्य जमा होने पर रजिस्ट्री सम्पादित होने के पश्चात ही सम्पत्तिका कब्जा देयहोगा किन्तु किस्तों पर आवंटित पलेट्स का कब्जा, उसके मूल्यका 25% जमा होने के पश्चात् नियमानुसार अनुबंध सम्पादित कर दिया जा सकताहै।
13	सम्पत्तियों के आवंटन में आरक्षण शासनादेश के अनुसार लागू होगा, जिसके लिए वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्यहोगा। फॉर्म में आरक्षण कॉलम न भरने व प्रमाण पत्र न संलग्न करने पर उक्त पंजीकरण सामान्य श्रेणी का माना जायेगा। आरक्षित सम्पत्ति अवशेष रहने पर उसेसामान्य श्रेणी में सम्मिलित कर आवंटित की जायेगी।
14	उपरोक्त सम्पत्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी,. भतपर्व भूतपूर्व सैनिक व उनके आधित तथा समाज के दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि की आधी धनराशि जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता हैकिन्तु सम्पत्ति के कुल मूत्य में छूट देय नहीं है। आधी पंजीकरण धनराशि अग्रिम के रूप में जमा होने वाली सम्पत्ति के मूल्य के 25% धनराशि में समायोजित करजमा करना होगा।
15	समस्त सम्पत्ति "जहाँ है जैसे है" के आधार पर आवंटित की जा रही है,जिसमें विकास प्राधिकरण द्वारा कोई अतिरिक्त कार्य नहीं कराया जायेगा। आवंटन हेतु आवेदन करने से पूर्व सम्पत्तियोंका स्थलीय स्थती निरीक्षण करसंतुष्टि संतुष्टिकी जा सकती है।
16	विवाद की स्थिति में मामले का निस्तारण "प्रयागराज जनपद न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।
17	प्राधिकरण आवंटन नियमावली के अनुसारव शासन द्वारा समय-समय परजारी एवंलागू समस्त नियमों का पालन करना होगा।
18	सम्पत्ति का आवंटन स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, प्रयागराजविकास प्राधिकरण, प्रयागराज में निहित है।

अधिक जानकारी हेतु इंदिरा भवन 7वां तल, हेल्प डेस्क पूछताछ केंद्र में संपर्क करें

सोमवार से शनिवार (अवकाश दिन छोड़ कर) सुबह 10 बजे से शाम 5बजे तक
फोन नंबर पर भी फ्लैट संबंधित जानकारी ले सकते हैं। (915322400911, 0532-4022624)